105

दिनांक 05.12.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिव्यांगजन हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का राज्य में अनुपालन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार, पटना एवं अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा अवगत कराया गया कि समानता के अधिकार के तहत सभी निःशक्त (दिव्यांगजन) को वह सभी अधिकार प्राप्त है, जो सामान्य व्यक्ति को है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत Guideline के अनुसार दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीने का अधिकार दिया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को भी निम्नांकित बिन्दुओं पर लाभ प्राप्त कराया जाय :–

1. दिव्यांगजनों को राशन कार्ड/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित कर (PHH/अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत) लाभान्वित किया जाय।
2. जन वितरण प्रणाली की दुकानों में खाद्यान्न प्राप्त करने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए Ramp (ढलान/सीढ़ी) का निर्माण या दिव्यांगजन के प्रतिनिधि को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय।
3. Act-37 के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगजनों को 5 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। रिक्त जन वितरण प्रणाली की नियुक्तियों में दिव्यांगजनों को नियुक्तियों में 5 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया जाय।
4. जिला स्तर पर गठित निगरानी/सतर्कता समिति में दिव्यांगजन को नामित किया जाय।

उक्त के आलोक में सचिव द्वारा राज्य निःशक्तता आयुक्त को आस्वश्त किया गया कि विभाग के स्तर पर यह प्रयास किया जायेगा कि प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों को पूर्वीकताप्राप्त/अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाय।

जन वितरण प्रणाली की दुकानों में दिव्यांगजनों के लिए आवागमन की सुविधा का प्रावधान/उनके प्रतिनिधि को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाय, यह सुनिश्चित किया जायेगा, PoS यंत्र में भी यह प्रावधानित करने का कार्य किया जायेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिव्यांगजनों के लिए 03 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतएव आरक्षण के बिन्दु पर उच्च स्तरीय निर्णय लेने के पश्चात् अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि निगरानी/सतर्कता समिति में पूर्व से ही एक दिव्यांगजन नामित है। जिला पदाधिकारियों से नामित प्रतिनिधियों का नाम प्राप्त कर संसूचित कर दिया जायेगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त किया गया।

(संगीता सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0(मानवाधिकार)–18/2019– 5869 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/12/19
प्रतिलिपि – राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0(मानवाधिकार)–18/2019– 5869 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/12/19
प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0(मानवाधिकार)–18 / 2019– 5869 खाद्य, पटना / दिनांक–12/12/19
प्रतिलिपि – सचिव कोषांग / अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–07 / विशेष कार्य पदाधिकारी / आई0 टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/19

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0(मानवाधिकार)–18 / 2019– 5869 खाद्य, पटना / दिनांक–12/12/19
प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/19

विशेष कार्य पदाधिकारी।